



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आषाढ़, 1944 (श०)

संख्या - 323 राँची, मंगलवार, 19 जुलाई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

27 जून, 2022

संख्या-5/आरोप-1-75/2018-6679 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री रोहित सिंह झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-153/20, गृह जिला- लोहरदगा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमड़ापाड़ा, पाकुड़ के विरुद्ध वरीय पदाधिकारी एवं उपायुक्त, पाकुड़ द्वारा लगातार निदेश दिये जाने के बावजूद मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में अभिरुचि नहीं लिया जाना, उपायुक्त, पाकुड़ द्वारा प्रखण्ड कार्यालय का निरीक्षण के क्रम में दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाना, Special Summary Revision of Photo Electoral Roll of Intensive Nature जैसे निर्वाचन कार्य में प्रशिक्षक होने के बावजूद ससमय भाग नहीं लिया जाना, क्षेत्र का भ्रमण नहीं करना तथा बिना अवकाश स्वीकृत कराये मुख्यालय से अनुपस्थित रहना एवं सरकारी आचरण नियमावली के नियम- 3(1)(i)(ii)(iii) तथा नियम 3(2) एवं नियम 3(3)का उल्लंघन करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-635, दिनांक-07.07.2018 द्वारा गठित आरोप-पत्र (प्रपत्र-'क') में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री सिंह के विरुद्ध प्रपत्र-क में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री सिंह को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री सिंह द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाकुड़ को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ROHIT SINGH 110041165699	श्री रोहित सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-153/20, गृह जिला-लोहरदगा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमड़ापाड़ा, पाकुड़ के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री रोहित सिंह, झा०प्र०से० एवं श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
